

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार पटना।

पटना 15 दिनांक.....

विषय:- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 003 प्रशिक्षण उप शीर्ष 0101 क्षमतावर्द्धन मांग सं0-40 विपत्र कोड-40-2029000030101 अंतर्गत विषय शीर्ष 2003 प्रशिक्षण व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10,66,853/- (दस लाख छियासठ हजार आठ सौ तिरपन) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-333(3)/रा0 दिनांक-07.07.2017 के आलोक में विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी के जानकारी देने हेतु बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को रूपये 10,39,270/- (दस लाख उनचालीस हजार दो सौ सतर) रूपया मात्र एवं उक्त कार्याशाला हेतु आमंत्रित विशेषज्ञ डॉ रेशमी नायर की हवाई यात्रा के टिकट के भुगतान हेतु 27,583/- (सताईस हजार पाँच हजार तेरासी) रूपया मात्र कुल 10,66,853/- (दस लाख छियासठ हजार आठ सौ तिरपन) रूपये मात्र आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायगी।

3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ शीघ्र भेज दी जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विभागीय लेखा शाखा-2 (दो प्रतियों में) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- 18 (5)/रा०, पटना-15, दिनांक :- 11-07-17

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।